<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 130/2022

(सी.आई.एस.नं.-130/2022)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- गोरधन सिंह पुत्र बद्री सिंह, उम्र 28 वर्ष व

2- नेपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र 26 वर्ष,

निवासीगण बर्डियाहीरजी, पुलिस थाना उन्हैल, जिला-झालावाड़ (राज.)

– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. एवं
धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री रामबिलास राठौर, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 16.04.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.04.2022 को परिवादी दिनेशलाल पुत्र रतनलाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी बर्डियाहीरजी, थाना उन्हैल, जिला-झालावाड़ ने उपस्थित पुलिस थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-2), इस आशय के तथ्यों की पेश की कि अम्बेड़कर जयन्ती के उपलब्ध में 14 अप्रेल को उसके घर के सामने पेड़ पर बाबा साहब का झण्डा लगाया था, जो गाँव के राहुलसिंह पुत्र पूरसिंह, राजूसिंह पुत्र कृपाल सिंह, गोरधन सिंह पुत्र बद्रीसिंह गोविन्द सिंह पुत्र उमराव सिंह, श्याम सिंह पुत्र उमराव सिंह, हेमराज सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, नेपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह सौंधिंया राजपूत निवासीयान बर्डियाबीरजी गाँव के 40-50 जनों के साथ आये व बाबा साहब को गालियां दी व झण्डा उतार कर नीचे फैंक दिया व उसे जलाने की भी कोशिश की तथा दिनेश, मुकेश, श्रवण, चन्दरलाल, देवीलल, अजमल, कमल, महादेव व मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया, तो इन लोगों ने जान से मारने व गांव छोड़ने की धमकी दी तथा इनको मुस्लिम बताया, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना उन्हैल नागेश्वर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-40/2022, अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 12.09.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 504, 506, भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 25.04.2023 को अभियुक्तगण को धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(va) एस.सी./एस. टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.ड.-1 अजमल, पी.ड.-2 दिनेश, पी.ड.-3 महादेव, पी.ड.-4 देवीलाल, पी.ड.-5 चन्दरलाल, पी.ड.-6 मुकेश कुमार, पी.ड.-7 श्रवणलाल, पी.ड.-8 कमल, पी.ड.-9 रामबाबू शर्मा, पी.ड.-10 गुमान सिंह, पी.ड.-11 तोफान सिंह व पी.ड.-12 प्रेम कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4, पुलिस बयान महादेव प्रदर्श पी.-5, फर्द गिरफ्तारी मुल. नेपाल सिंह व गोरधन सिंह क्रमशः प्रदर्श पी.-6 व पी.-7, नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-8 व पी.-9, फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-10 व पी.-11 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किये जाने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण

के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी दिनेश द्वारा लगाया गया झण्डे को उतारकर नीचे नहीं फैंका और ना ही उसे जलाने की कोशिश की। परिवादी ने रंजिशवश यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी पी.ड.-2 दिनेश ने उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 से भिन्न कथन अपने न्यायालय बयानों में दिये है तथा तहरीरी रिपोर्ट में घटना का समय अंकित नहीं किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के घर पर आकर गाली-गलौच की हो अंकित नहीं किया है। प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने भी परिवादी के बयानों व तहरीरी रिपोर्ट में अंकित कथनों के विरोधाभासी कथन अपने न्यायालय में हुए बयानों में किये है। गवाह पी.ड.-3 महादेव पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

> **''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.04.2022 को सुबह करीब 10.00 बजे अथवा इसके लगभग मौजा बर्डियाहीरजी में अन्य सहअभियुक्तगण, जो संख्या में पांच या उससे अधिक थे, के साथ मिलकर परिवादी दिनेशलाल के साथ अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा उक्त जमाव के सदस्य रहते हुए परिवादी दिनेशलाल के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसकी लोक शांति भंग होकर, स्वेच्छया गाली-गलौच कर उसे प्रकोपित व अपमानित किया तथा परिवादी दिनेशलाल व मोहल्ले वासियों को जान से मारने व गांव छोड़ने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा परिवादी दिनेशलाल के जाति से मेहर होकर, अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए, उसके द्वारा लगाये गये बाबा साहब अम्बेडकर के पवित्र झण्डे को नीचे उतारकर फैंककर जलाने का प्रयास कर अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा को बढ़ावा देने का प्रयास किया व बाबा साहेब अम्बेडकर का असम्मान किया व परिवादी व अन्य**

गांव के लोगों को गांव छुड़ाने का कहकर बलित किया व परिवादी के साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहान को परीक्षित करवाया गया, जिसमें गवाह पी.ड.-1 अजमल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल-डेढ साल पहले दिन के 9-10 बजे की बात है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झण्डा उनके बाडे में लगाया था। तभी वहां पर राहुल सिंह, राजेन्द्र सिंह, हेमराज सिंह, गुमान सिंह, नेपाल सिंह और कृपाल सिंह आ गये और आकर बाबा साहब का झण्डा उतार दिया और उनसे गाली-गलोच की। उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि बाबा साहब तो मुसलमान है और बाबा साहब का झण्डा जलाने की कोशिश की। उसने व कमल व देवीलाल व रघुनाथ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट करवाने वह भी साथ गया था। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि घटना 14 अप्रैल की हो, बल्कि 15 अप्रैल की है। आगे स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण सभी उनके गांव के है। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि अभियुक्तगण से उनकी पूर्व की रंजिश हो और इसी कारण उन्होंने इनके नाम लिखाये हो। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उस दिन वे जुलूस निकाल रहे हो और अभियुक्तगण ने उन्हें जुलूस निकालने से मना किया हो इस कारण उन्होंने अभियुक्तगण के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट दर्ज करायी हो।

11- गवाह पी.ड.-2 दिनेश स्वयं परिवादी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2022 की दिन के 10.00 बजे की बात है। उसने उसके घर के सामने बाडे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झण्डा लगाया था। तभी वहां पर गोरधन सिंह, राहुल सिंह, बनेसिंह, श्याम सिंह, गोविन्द सिंह, राजेन्द्र, हेमराज सिंह, गुमान सिंह, नेपाल सिंह आ गये थे और आकर बाबा साहब का झण्डा उतार दिया और उनसे गाली-गलोच की। उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि बाबा साहब तो मुसलमान है और बाबा साहब का झण्डा जलाने की कोशिश की। उसने, कमल, देवीलाल व रघुनाथ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना में की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है, जिन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर सी

से डी उसके हस्ताक्षर है। उसका जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4 है। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 में घटना का समय अंकित नहीं है। मुलजिमान सब उसके ही गांव के है। इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि 14 अप्रैल, जिस दिन की घटना है। आगे स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट में घटना 14 अप्रैल की बता रखी है।

12- गवाह पी.ड.-3 महादेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले सुबह के 10-11 बजे की बात है। उसने सुना था कि दिनेश की लडाई हुई थी। दिनेश की लड़ाई किससे हुई, उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसने सुना था कि झण्डे को लेकर दिनेश और 2-3 जनों में झगडा हुआ था। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.-5 का घटना से संबंधित महत्वपूर्ण एवं तात्विक ए से बी भाग ''दिनांक 14.04.2022 ..... धमकी दी थी'' सुनकर उसने ऐसा पुलिस को बताया जाना तथा समय अधिक होने के कारण वह आज भूल जाना कहा है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह दिनांक 14.04.2022 को सुबह 7.00 बजे सगाई में गया था और दूसरे दिन शाम को 4.00 बजे आया था। उसने कोई घटना नहीं देखी और ना ही कोई झण्डा उतारते और गाली-गलौच करते देखा।

13- गवाह पी.ड.-4 देवीलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2022 की सुबह करीब 9.00 बजे की बात है। उस दिन दिनेश ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनायी थी। इसलिए उसके बारे में बाबा साहब के झण्डे लगाये थे। गांव के गोरधन सिंह, नेपाल सिंह और राहुल सिंह आये और झण्डा उतारकर उससे छेडछाड की और दिनेश के साथ गाली-गलौच की। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिए थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-1 में जो पेड बताया गया है वो दूर है। आगे स्वीकार किया है कि उसने बयान में घटना दिनांक 15.04.2022 की बताई है, दिनांक 14.04.2022 को तो झण्डा लगाया था। फिर कथन किया कि घटना दिनांक 15.04.2022 को हुई थी।

14- गवाह पी.ड.-5 चन्दरलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.04.2022 की सुबह 10-11 बजे की बात है। राहुल सिंह, गोरधन

सिंह, हेमराज सिंह, राजूसिंह, श्याम सिंह व 4-5 लोग आये थे। इन्होंने आकर उसके व दिनेश से कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा झाड पर से उतारो। उन्होंने दिनांक 14.04.2022 को अम्बेडकर जयंती मनाई थी। उसके बाद झंडा पेड पर बांध दिया था। इन्होंने झंडा पेड से उतारकर नीचे फेंक दिया और झंडे को जलाने की कोशिश की। उन्होंने मना किया, तो उन्हें जान से मारने व गांव से निकालने की धमकी दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उन्होंने अम्बेडकर जयंती दिनांक 14.04.2022 को बडी धूमधाम से मनाई थी। उनके साथ 7-8 जने थे। आगे स्वीकार किया है कि उस दिन उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई। आगे कथन किया है कि प्रदर्श पी.-1 में जो घटनास्थल बता रखा है वहां से 200 मीटर दूर उसका मकान है।

15- गवाह पी.ड.-6 मुकेश कुमार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.04.2022 की दिन के 10-11 बजे की बात है। वे लोग घर पर थे। वहां पर राहुल, राजेन्द्र सिंह, गोरधन सिंह, हेमराज सिंह आये, इन्होंने आकर पेड पर लगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के झंडे को उतार दिया और जलाने की कोशिश की। उसने व चन्दरलाल व गांव के लोगों ने मना किया, तो इन्होंने उनसे गाली-गलौच की। इन्होंने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इन्होंने कहा कि वे उन्हें गांव से निकाल देंगे, जान से मार देंगे। दिनांक 14.04.2022 को उन्होंने अम्बेडकर जयंती मनाई और शाम को पेड पर झंडा बांध दिया था। इसी बात को लेकर इन्होंने उनके साथ गाली-गलौच की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसे उसके गांव के गोरधन राजपूत ने फोन कर बुलाया था और जब वह वहां गया तो वहां कोई भीड नहीं थी। आगे स्वीकार किया है कि जिस दिन उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई उस दिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने कोई गाली-गलौच नहीं की। फिर कथन किया कि दूसरे दिन किया था।

16- गवाह पी.ड.-7 श्रवणलाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2022 की सुबह करीब 10.00 बजे की बात है। उस दिन दिनेश ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनायी थी। बाबा साहब के झण्डे लगाये थे। फिर दूसरे दिन 15 तारीख को गोरधन सिंह, राजेन्द्र सिंह, राहुल सिंह आये, इन्होंने झंडा उतारने की कोशिश की व दिनेश ने रोका तो इन तीनों ने दिनेश के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी

थी। वक्त घटना वह वहीं पर था। पुलिस ने उससे पूछताछ की व बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि 14.04.2022 को कोई घटना कारित नहीं हुई थी। आगे स्वीकार किया है कि अम्बेडकर जयंती उन लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाई थी। आगे स्वीकार किया है कि जाति समाज का होने की वजह से उसका नाम गवाह में लिखा दिया हो।

17- गवाह पी.ड.-8 कमल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2022 की बात है। उसके मकान के पास वाले बाड़े में बाबा भीमराव जी का झंडा बांधा था। दूसरे दिन 10-11 बजे गोरधन सिंह, श्याम सिंह, राजू सिंह, राहूल सिंह वहां पर आये थे, उन्होंने आकर झंडा नीचे पटक दिया था। दिनेश के मना करने पर इन्होंने दिनेश के साथ मारपीट भी की थी। उसके साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था व झंडा नीचे पटक कर जलाने की कोशिश की व जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-1 में जो पेड़ बताया गया है, वो दूर है। आगे स्वीकार किया है कि उसने बयान में घटना दिनांक 15.04.2022 की बताई है, दिनांक 14.04.2022 को तो झण्डा लगाया था। फिर कथन किया कि घटना दिनांक 15.04.2022 को हुई थी।

18- गवाह पी.ड.-9 रामबाबू शर्मा फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 20.04.2022 को सी.ओ. कार्यालय गंगधार में रीडर के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना उन्हैल के प्रकरण सं.-40/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेम कुमार सी.ओ. गंगधार द्वारा प्रकरण में वांछित अभियुक्त नेपाल सिंह व गोरधन सिंह को उसके समक्ष गिरफ्तार किया, फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी.-6 व 7 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

19- गवाह पी.ड.-10 गुमान सिंह, फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि पुलिस ने उसके पुत्र नेपाल सिंह को गिरफ्तार किया, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके खाली कागज पर गांव में साईन कराये थे।

20- गवाह पी.ड.-11 तोफान सिंह फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 20.04.2022 को थाना उन्हेल जिला झालवाड के प्रकरण सं.-40/2022 में अनुसंधान अधिकारी प्रेमसिंह आर.पी.एस. व रामबाबु तुफान

सिंह के समक्ष उसे बुलाया गया तथा उसके सामने गोरधन सिंह पुत्र बद्रीसिंह, निवासी बर्डीयाहिरजी, थाना उन्हैल को गिरफ्तार किया, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके खाली कागज पर साईन कराये थे।

21- गवाह पी.ड.-12 प्रेम कुमार अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.04.2022 को वृत्ताधिकारी, वृत्त गंगधार के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना उन्हैल नागेश्वर के प्रकरण सं.-40/22, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(Va) एस. सी. /एस.टी. एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी दिनेश व गवाहान महादेव, अजमल, देवीलाल, मुकेश, चन्द्रलाल, कमल व श्रवण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी दिनेश की निशानदेही से बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी गवाह अजमल, सी से डी परिवादी दिनेश, ई से एफ गवाह कमल व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। परिवादी का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया था, जो प्रदर्श पी.-4 है। बाद अनुसंधान मुलजिमान गोरधन सिंह व नेपाल सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. दिये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी.-8 व 9 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। नोटिस की पालना नहीं करने पर मुलजिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-10 व 11 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान नेपाल सिंह व गोरधन सिंह क्रमशः प्रदर्श पी.-6 व 7 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाह, ई से एफ मुलजिमान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर सी से डी थानाधिकारी उन्हैल के हस्ताक्षर व ई से एफ उनके द्वारा की गयी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है, जिसपर ए से बी परिवादी व सी से डी थानाधिकारी उन्हैल भंवरसिंह के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिमान गोरधन सिंह व नेपाल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 143, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(t)(u)(v)(zc), 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, झालावाड़ से चालानी आदेश प्राप्त कर आरोप पत्र

माननीय न्यायालय में थानाधिकारी भंवरसिंह ने पेश किया था। थानाधिकारी भंवरसिंह उसके अधीनस्थ होने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दिनांक 14.04.2022 को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। आगे कथन किया है कि बाबा साहेब नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही उनके बयान लिये गये। आगे स्वीकार किया है कि सम्पूर्ण अनुसंधान में कहीं भी ओबीसी या जनरल वाले व्यक्ति के कहीं भी बयान नहीं लिये गये।

22- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-2 दिनेश के सशपथ बयानों व उसके द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 का अवलोकन किया जाये, तो परिवादी ने स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करते हुए कहा है कि दिनांक 14.04.2022 को इसके घर के सामने बाड़े में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झण्डा लगाया था। तभी वहां पर अभियुक्तगण गोरधन सिंह, नेपालसिंह व अन्य आये और बाबा साहब का झण्डा उतार दिया और इनसे गाली-गलौच की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया तथा कहा कि बाबा साहब तो मुसलमान है और बाबा साहब का झण्डा जलाने की कोशिश की। इसने, कमल, देवीलाल व रघुनाथ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई विरोधाभासी कथन या स्वीकारोक्ति परिवादी ने नहीं की है। परिवादी द्वारा बताये गये देवीलाल व कमल गवाहान पी.ड.-4 व पी.ड.-8 के रूप में परीक्षित हुए हैं व गवाह पी.ड.-4 देवीलाल ने अपने बयानों में कहा है कि दिनांक 14.04.2022 को दिनेश ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनायी थी, इसलिये उसके बाड़े में बाबा साहब के झण्डे लगाये थे। गांव के गोरधन सिंह, नेपाल सिंह व अन्य आये और झण्डा उतारकर उससे छेड़-छाड़ की और दिनेश के साथ गाली-गलौच की। प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि घटना दिनांक 15.04.2022 की बतायी है, दिनांक 14.04.2022 को तो झण्डा लगाया था। गवाह पी.ड.-8 कमल ने भी घटना की ताईद करते हुए कहा है कि गोरधन सिंह व अन्य आये व बाबा साहब का झण्डा नीचे पटक दिया और दिनेश को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व झण्डा नीचे पटककर जलाने की कोशिश की और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी। यह भी स्वीकार करता है कि घटना दिनांक 15.04.2022 की बताई है और दिनांक 14.04.2022 को तो झण्डा लगाया था। गवाह पी.ड.-1 अजमल ने भी अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झण्डा लगाया तो अभियुक्तगण नेपाल सिंह व अन्य आ गये और बाबा साहब का झण्डा उतार दिया

व उनसे गाली-गलौच की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि बाबा साहब तो मुसलमान है और बाबा साहब का झण्डा जलाने की कोशिश की और जब इसने, कमल, देवीलाल व रघुनाथ ने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। यह गवाह भी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट करता है कि घटना 15 अप्रेल की थी। गवाह पी.ड.-3 महादेव यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन अपनी मुख्य परीक्षा में कहता है कि इसने सुना था कि झण्डे को लेकर दिनेश और 2-3 जनों में झगड़ा हुआ था। इस प्रकार यद्यपि यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन घटना के अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना की आंशिक सम्पुष्टि करता है। गवाह पी.ड.-5 चन्दरलाल भी अपने बयानों में इस बात की ताईद करता है कि अभियुक्त गोरधन सिंह व अन्य लोग आये व झण्डा पेड़ से उतारकर नीचे फैंक दिया और झण्डे को जलाने की कोशिश की व मना करने पर जाने से मारने एवं गांव से निकालने की धमकी दी। प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट करता है कि आवाज सुनकर यह मौके पर गया था। गवाह पी.ड.-6 मुकेश कुमार ने भी अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि अभियुक्त गोरधन सिंह व अन्य आये व बाबा भीमराव अम्बेडकर के झण्डे को उतार कर जलाने की कोशिश की, गाली-गलौच की व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम्हे गांव से निकाल देंगे। प्रतिपरीक्षा के दौरान कहता है कि इसके गांव के गोरधन राजपूत ने फोन करके इसे बुलाया था। गवाह पी.ड.-7 श्रवणलाल ने भी अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयन्ती मनाने के दूसरे दिन अभियुक्त गोरधन व अन्य ने झण्डा उतारने की कोशिश करने लगे, दिनेश ने रोका तो दिनेश को जाति सूचक शब्द कहे व गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी तथा वक्त घटना स्वयं की मौजूदगी बताता है तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि जाति समाज होने की वजह से इसका नाम गवाह में लिखा दिया हो, लेकिन उक्त गवाह की इस स्वीकारोक्ति से ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता है कि इसके द्वारा घटना नहीं देखी गयी हो और ना ही मात्र एक ही जाति समाज का होने के आधार पर कोई गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के लिये अक्षम्य होता हो और ना ही अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.-12 प्रेम कुमार के बयानों के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने आया है, जिससे इस बाबत् कोई सन्देह हो कि घटना घटित नहीं हुई हो। परिवादी के बयानों की ताईद प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने की है तथा समस्त अभियोजन की ओर से पेश गवाहान की साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि अभियुक्तगण गोरधन सिंह व नेपाल सिंह ने परिवादी दिनेश के बाड़े में लगाये भीमराज अम्बेडकर से संबंधित भीमराव आर्मी के झण्डे को उतार कर फैंक दिया व जलाने की कोशिश

की व मना करने पर परिवादी पक्ष के व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः अभियोजन साक्ष्य के परीक्षण से इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण द्वारा डॉ. भीमराज अम्बेडकर जो कि अनुसूचित जाति समुदाय के बीच अत्यन्त सम्मानीत दिवंगत व्यक्तित्व के संबंध में अपमानजनित कथन किया, भीम आर्मी के झण्डे को जलाने का प्रयास किया, जिससे समुदाय की भावना को ठेस पहुंची। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2020, क्रिमिनल अपील नं.-707/2020, दिनांक 05.11.2020** में यह प्रतिपादित किया गया है कि -

> **''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सम्मानीय व्यक्तित्व अथवा प्रतिकों के प्रति सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार दण्डनीय कृत्य की श्रृणी में आता है।''**

हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्तगण ने झण्डा जलाने का प्रयास कर उच्च सम्मानीय दिवंगत व्यक्तित्व के प्रति अपमानजनक कथन किया जाना स्पष्ट होता है। जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3-1(t) एवं 3-1(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

23- इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा जान-बूझकर उक्त अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे विवाद एवं शांति भंग होने की संभावना थी। धारा 504 भा.दं. सं. के तहत् आशय अपमान तथा शांति भंग की संभावना आवश्यक तत्व है तथा हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट अभियुक्तगण का कृत्य उक्त तत्वों को पूर्ण करता है। अतः अभियुक्तगण धारा 504 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

24- इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को जान से मारने की धमकी दिया जाना भी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गयी साक्ष्य से सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण धारा 506 भा.दं.सं. के तहत् भी दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

25- जहां तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3-1(s) का संबंध है। अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्तगण ने परिवादी या परिवादी पक्ष के

अन्य किसी सदस्य को उसकी जाति के आधार पर किसी विशिष्ट जाति सूचक शब्द का प्रयोग सार्वजनिक परिदृश्य में किया हो। अभियोजन साक्ष्य से परिवादी सहित अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान ने मात्र यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, लेकिन जाति सूचक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2020** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जाति के आधार पर किया गया अपमान स्पष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिये। विशिष्ट जाति सूचक शब्द का उल्लेख नहीं होने पर धारा 3-1(s) एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध साबित नहीं माना जा सकता। साथ ही **खुमान सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2019) क्रिमिनल अपील नं.-1283/2019, निर्णय दिनांक 27.08.2019** में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक दृष्टि में जाति आधारित अपमान होना आवश्यक है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण धारा 3-1(r), 3-1(s) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है। साथ ही अभियोजन की ओर से आरोपित अपराध धारा 3-1(u) और धारा 3-1(za)(C) एस.सी./एस.टी. एक्ट के आरोप से भी सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

26- जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा 143 भा.दं.सं. का संबंध है। यद्यपि अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण गोरधन सिंह व नेपाल सिंह के साथ वक्त घटना अन्य भी व्यक्ति आये थे, लेकिन अभियोजन साक्ष्य से वे अन्य व्यक्ति कौन थे तथा क्या वे संख्या में 5 या अधिक थे। यह स्पष्ट करने के लिये कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह जाहिर होता हो कि अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव का गठन करके मौके पर आये थे। अतः ऐसी दशा में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण धारा 143 भा.दं.सं. के आरोप से भी सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

27- जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा 3-2(va) एस.सी./ एस.टी.एक्ट का संबंध है। अभियोजन साक्ष्य से यह जाहिर है कि अभियुक्तगण व परिवादी एक ही गांव के सदस्य है तथा अभियुक्तगण ने परिवादी दिनेश के बाड़े में जाकर भीम आर्मी से संबंधित झण्डे को गिराया व उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में गलत कथन किया व परिवादी को को अपमानित करने व शांति भंग करने का प्रयास किया। उपरोक्त समस्त घटनाक्रम से भी यह उपधारणा किये जाने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण परिवादी के अनुसूचित जाति का

सदस्य होने के तथ्य से परिचित थे। अतः हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण स्वयं द्वारा कारित अपराध धारा 506 भा.दं.सं. के अपराध के लिये धारा 3-2(va) एस. सी./एस.टी.एक्ट के तहत् दोषसिद्ध घोषित कर दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण गोरधन सिंह पुत्र बद्री सिंह, उम्र 28 वर्ष एवं नेपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासीगण बर्डियाहीरजी, पुलिस थाना उन्हैल, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 143 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s)(za)(C) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

2- परन्तु अभियुक्तगण गोरधन सिंह व नेपाल सिंह को धारा 506 भा.दं.सं. सपठित धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट एवं धारा 504 भा.दं.सं. तथा धारा 3-1(t) व 3-1(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होकर वर्ष 2022 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को अन्य अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य नहीं है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के अनुसूचित जाति के सदस्य होना जानते हुए,

उन्हें जान से मारने व गांव से निकालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने आरोप है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 19 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध के लिये दोषी व्यक्ति पर धारा 360 दं.प्र.सं. व अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण की स्थिति, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्तगण के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता हैः-

दण्डादेश

अतः अभियुक्तगण गोरधन सिंह पुत्र बद्री सिंह, उम्र 28 वर्ष व नेपाल सिंह पुत्र गुमान सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासीगण बर्डियाहीरजी, पुलिस थाना उन्हैल, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 506 भा.दं.सं. सपठित धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट एवं धारा 504 भा.दं.सं. तथा धारा 3-1(t) व 3-1(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाए जाने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाता है -

1- उक्त प्रत्येक अभियुक्त को धारा 506 भा.दं.सं. सपठित धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में **03 वर्ष** के साधारण कारावास व **2,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **02 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

2- उक्त प्रत्येक अभियुक्त को धारा 504 भा.दं.सं. के अपराध में **01 वर्ष** के साधारण कारावास व **2,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **02 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

3- उक्त प्रत्येक अभियुक्त को धारा 3-1(t) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में **03 वर्ष** के साधारण कारावास व **5,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **06 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

4- उक्त प्रत्येक अभियुक्त को धारा 3-1(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में **03 वर्ष** के साधारण कारावास व **5,000/-रूपये** अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड **06 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

5- अभियुक्तगण की उक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, धारा 428 द.प्र.सं. के अनुसार उसकी मूल सजा में समायोजित की

जावेगी। अभियुक्तगण का सजा वारण्ट उक्तानुसार मुर्तिब किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क दी जावे।

6- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए परिवादी को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **16.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड़-प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।